न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 11/2013/(2013/00032)

खुर्शीद अहमद पुत्र मो0 हफजुल्ला जाति मुसलमान निवासी गली विवेकाननद स्कूल वार्ड नम्बर 17 टोंक तहसील व जिला टोंक।

अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट टोंक आदेश क्रमांक 4356 न्याय/आर्म्स/अपील
2012/ दिंनाक 16–04–2012

————

उपस्थितः 1– श्री गिरीश शर्मा , अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक : 15–6–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट टोंक जिले का रहने वाला है तथा अपीलांट को तहसीलदार टोंक द्वारा डी.बी.एम.एल. गन नम्बर 2292 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 26/2002 जारी किया गया था। उक्त अनुज्ञापत्र निरन्तर नवीनीकरण होता रहा है। उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष प्रस्तत किया गया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट टोंक ने अपने आदेश दिनांक 16–4–2012 द्वारा अपीलांट का अनुज्ञापत्र खारिज कर शस्त्र को पुलिस थाना कोतवाली टोंक में जमा कराने के आदेश

प्रदान कर दिये। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट के राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने अपने अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करवाने हेतु अभिभाषक टोंक को अपने कागजात दे रखे थे जिन्होंने अपीलांट को आश्वासन दे रखा था कि अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करवा दूंगा। इस कारण प्रार्थी को जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थी दिनांक 22–5–2013 को अपने कागजात की जानकारी करने टोंक अभिभाषक से सम्पर्क किया तब उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आपका अनुज्ञा पत्र दिनांक 16–4–2012 को खारिज हो गया है। तत्पश्चात उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रार्थी अपने गांव गया एवं फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट दिनांक 20–10–2011 में अंकित है कि अनुज्ञापत्र धारी का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाता है तो लोक शांति एवं लोक सुरक्षा के विरूद्ध विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा

अपीलांट का आचरण भी अच्छा है फिर भी जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने नोनस्पीकिंग आदेश पारित कर अपीलांट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट का अनुज्ञा पत्र 30–9–2008 को प्रथम बार नवीनीकरण किया गया था उसके पश्चात बराबर नवीनीकरण किया जाता रहा है इस इक्विर्टी के आधार पर भी अपीलांट के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं रोका जा सकता है और ना ही अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)बी को ध्यान में रखते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र निर्णित नहीं किया। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक को प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार कर अपना निर्णय प्रदान करना चाहिए था। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 16–4–2012 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, टोंक की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पुलिस अधीक्षक, टोंक से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने अपने पत्र क्रमांक 13779 दिनांक 20–10–2011 में प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। रिपोर्ट मे यह भी अंकित है कि शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मु0न0 23/12 में धारा 37, 51, 63, 65, 68ए प्रतिलिपियां अधिकार अधिनियम (संशोधित) 1984 व 1994 के मजबून में प्रार्थी खुर्शीद के मकान पर अवैध चैनलों का प्रसारण पाये जाने पर दर्ज प्रकरण जैर अनुसंधान है। वृताधिकारी/थानाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की जाती है। अपीलांट से भविष्य में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को खतरा होने के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(ख) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है, जो विधिसम्मत है।

मैने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलांट को तहसीलदार टोंक द्वारा डी. बी.एम.एल. गन नम्बर 2292 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 126/2002 जारी किया गया था जा कि निरन्तर नवीनीकरण होता रहा था। प्रार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की जिला पुलिस

अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित करते हुए कथन किया है कि शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मु0न0 23/12 में धारा 37, 51, 63, 65, 68ए प्रतिलिपियां अधिकार अधिनियम (संशोधित) 1984 व 1994 के मजबून में प्रार्थी खुर्शीद के मकान पर अवैध चैनलों का प्रसारण पाये जाने पर दर्ज प्रकरण जैर अनुसंधान है। वृताधिकारी/थानाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई है। नियमों में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी अनुज्ञापत्र धारी के विरूद्ध आपराधिक मामलें में सजा होने, आपराधिक मामला विचाराधीन होने या शांति भंग होने की कार्यवाही की जानकारी मिलती है तो नवीनीकरण की अवधि का इन्तजार नहीं कर के अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावे। उक्त प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मु0न0 23/12 में धारा 37, 51, 63, 65, 68ए प्रतिलिपियां अधिकार अधिनियम (संशोधित) 1984 व 1994 के मजबून में प्रार्थी खुर्शीद के मकान पर अवैध चैनलों का प्रसारण पाये जाने पर दर्ज प्रकरण जैर अनुसंधान है। अतः भविष्य में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को खतरा होने के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(ख) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है, जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर टोंक) का आदेश क्रमांक 4356 न्याय/आर्म्स/2012 दिनांक 16–4–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 15–6–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर